

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
-:: आदेश ::-

सं० सं०-17/विविध- 01-61/2025 - 535(17) पटना, दिनांक :-27/05/ 2025

डा० किरण कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना सिटी को स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-1133(17), दिनांक-29.11.2022 की कंडिका-07 के शर्ताधीन दिनांक-06.12.2024 से 19.01.2025 तक कुल-45 दिनों का द्वितीय संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

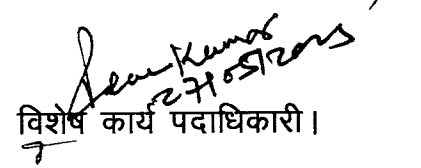
ज्ञापांक :-17/विविध- 01-61/2025 - 535(17) पटना, दिनांक :-27/05/ 2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, पटना/कार्यकारी अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० किरण कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।